श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

23, पार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.)

शासी निकाय की 124वीं (असाधारण बैठक) का कार्यवृत्त

बैठक दिनांक	:	08 / 04 / 2021
दिन	:	गुरूवार
समय	:	दोपहर 2.00 बजे
माध्यम्	:	ऑनलाईन

252
25/08/2021

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

संस्थान के शासी निकाय की 124वीं बैठक (असाधारण) दिनांक 08/04/2021 का कार्यवृत्त।

संस्थान के शासी निकाय की 124वीं बैठक गुरूवार, दिनांक 08/04/2021 को दोपहर 2:00 बजे से ऑनलाईन के माध्यम से माननीय यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	श्री मुकेश चंद गुप्ता सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आयुक्त, संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल	—	उपाध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव वित्त, म.प्र. शासन, भोपाल श्री महेन्द्र उपाध्याय (नामित प्रतिनिधि)	—	सदस्य
3.	कुलपति, रा.गा.प्रौ.वि.वि. भोपाल प्रो. प्रभात पटेल (नामित प्रतिनिधि)	—	सदस्य
4.	प्रो. सुरेश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स साईस, कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र (यू.जी.सी नामित)	—	सदस्य
5.	जस्टिस पी. पी. नावलेकर, सदस्य, अध्यक्ष श्री.जी.एस.टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इन्दौर	—	सदस्य
6.	डॉ. दीपक बी. फाटक, पूर्व प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजी आईआईटी मुम्बई सदस्य, श्री.जी.एस.टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इन्दौर	—	सदस्य
7.	डॉ. एस.एम. नारूलकर, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर (प्रोफेसर प्रतिनिधि)	—	सदस्य

8. श्री राजेश धाकड़ — सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, कंम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग,
एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर
(एसोसिएट प्रोफेसर प्रतिनिधि)

9. श्री अशोक अतुलकर, — सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर
(असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतिनिधि)

10. श्री संदीप कंसल, — आमंत्रित सदस्य
प्रेसीडेंट, एलुमिनी एसोसिएशन,
एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्दौर
भूतपूर्व छात्र

11. श्री लोकेश जैन, — आमंत्रित सदस्य
अप्लाईड फिजिक्स विभाग,
एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर
(गैरशिक्षक कर्मचारी)

12. प्रो.राकेश सक्सेना, — सदस्य सचिव
निदेशक,
एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर

निम्नलिखित सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा Leave of absence प्रदान की गई।

1	डॉ. चन्द्रशेखर वर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी , अ.भा.त.शि.प. भोपाल	—	सदस्य
2	श्री नंदकुमार सेकसरिया, सेकसरिया चेम्बर्स, 139, नागिनदास मास्टर रोड़, मुम्बई श्री गो.से. चेरिटी ट्रस्ट, इन्दौर द्वारा नामित सदस्य	—	सदस्य
3	श्री अभयसिंह भरकतिया, यशवंत निवास कॉलोनी, इन्दौर सदस्य, श्री.जी.एस.टेक्नालॉर्जीकल सोसायटी, इन्दौर	—	सदस्य
4	श्री एस. एन. कोहली, 15/1 साउथ तुकोगंज, इन्दौर श्री गो.से. चेरिटी ट्रस्ट, इन्दौर द्वारा नामित सदस्य	—	सदस्य

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

शासी निकाय की 124वीं (असाधारण बैठक) की कार्यसूची

मद कमांक	विवरण	पृष्ठ क.
मद क.124–01:	संस्थान की वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 14/02/2020 के कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	01 – 07
मद क.124–02	संस्थान की वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 18/02/2021 के कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	08 – 16
मद क.124–03	संस्थान में चल रही टेक्यूप –3 परियोजना की शासी निकाय की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	17– 32
मद क.124–04	अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये अन्य मद।	

शासी निकाय की असाधारण बैठक के प्रारम्भ में संस्थान के निदेशक एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सभी सदस्यों के परिचय देने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष की अनुमति से निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

मद क.124–01: **संस्थान की वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 14/02/2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

संस्थान की वित्त समिति की 68वीं बैठक दिनांक 14.02.2020 को श्री देवधर दरवाई, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इन्दौर की अध्यक्षता में संस्थान के बोर्ड रूम में संपन्न हुई।

वित्त समिति के कायवृत्त के मद कमांक 5 के संदर्भ में अध्यक्ष महोदया द्वारा मध्यप्रदेश भंडारण कय नियमों के अंतर्गत सामान कय करने की चर्चा की गई एवं ऑटोनोमस संस्थान होने के कारण अच्छी शिक्षा हेतु अच्छी गुणवत्ता की वस्तुऐं अन्य माध्यमों से नियमानुसार कय करने की अनुशंसा की गई।

सचिव द्वारा भी उपरोक्त के संदर्भ में इसी तरह का मत प्रस्तुत किया गया कि निविदा या अन्य माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) के साथ अच्छी गुणवत्तायुक्त वस्तुऐं कय की जा सकती है।

शासी निकाय के सदस्य श्री राजेश धाकड़ द्वारा मद कमांक 6 में विद्युत शुल्क सभी नये एवं पुराने छात्रों से लेने की बात कही गई एवं मद कमांक 10 में संस्थान के ऑउट सोर्सिंग माध्यम से श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर्मियों को लेने की बात कही गई।

सदस्यों का यह भी मत था कि वित्त समिति की बैठकों में विभिन्न मदों में व्यय होने वाली अनुमानित राशि का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सभी बिन्दूओं को संज्ञान में लेकर 68वीं समिति के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

मद क.124–02 **संस्थान की वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 18/02/2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

वित्त समिति के कार्यवृत्त के मद क्रमांक 3 में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि उचित समिति से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि होना आवश्यक है।

इसी मद में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा रिसर्च गतिविधियों को और व्यापक बढ़ावा देने की बात की गई एवं अच्छे रिसर्च एवं पेटेंट के लिये मद में और बजट भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छे रिसर्च पेपर में शिक्षकों / छात्रों को कैसे प्रोत्साहित किया जाये जिससे अच्छी रिसर्च को बढ़ावा मिले। इसके लिए सचिव को शिक्षकों के साथ मिलकर चर्चा कर योजना बना कर प्रस्तुत किया जाने का प्रस्ताव दिया गया।

प्रोफेसर सुरेश कुमार द्वारा रिसर्च गतिविधियों को बढ़ाने एवं नई प्रयोगशालाओं के विकास पर बजट बढ़ाने को कहा गया।

मद कमांक 6 में लिखित Employee Benefit fund की सराहना अध्यक्ष महोदया द्वारा की गई एवं यह भी कहा गया कि इस मद का उपयोग केवल इसी कार्यो के लिए किया जावे एवं इस मद से अन्य कार्यों के लिये पैसा न लिया जावे।

मद क्रमांक 8 में सचिव द्वारा कहा गया कि उपरोक्त प्रकरणों में अंकेक्षण बाद में करवाया जावे एवं "अंकेक्षण अनिवार्य नही है" को विलोपित किया जाये।

मद कमांक 11 के संदर्भ में प्रो. एस. एम. नारूलकर द्वारा मामला उठाया गया व यह निर्णय हुआ कि एक समिति बनाकर आरजीपीवी में इस प्रकरण के संदर्भ में हुई कार्यवाही को देखे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश देख कर एवं गणना कर वित्तीय भार का अनुमान कर अगामी शासी निकाय में प्रस्तुत किया जाये। अध्यक्ष महोदया द्वारा श्री मुकेश चंद गुप्ता जी को समिति का अध्यक्ष बनाने एवं इस प्रकरण के निराकरण करने हेतु नामित किया गया।

उपरोक्त सभी बिन्दूओं को चर्चा उपरांत संज्ञान में लेकर शामिल किया गया एवं 69वीं समिति के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

मद क.124–03 **संस्थान में चल रही टेक्यूप –3 परियोजना की शासी निकाय की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

अध्यक्ष महोदया, द्वारा कहा गया कि संस्थान के टेक्यूप–।।। के शासी निकाय के विभिन्न बैठकों का कार्य वृत्त केवल सूचनार्थ न होकर शासी निकाय द्वारा अनुमोदन करना भी उचित होगा। इसका समर्थन श्री मुकेश चंद गुप्ता एवं श्री डी. बी. फाटक द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी कहा गया कि टेक्यूप फेकल्टी को टेक्यूप प्रोजेक्ट के समाप्ति उपरांत कैसे प्रतिधारित (रिटेन) किया जा सकता है एव संस्थान में कैसे शामिल किया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव बनाकर सचिव एवं सेक्रेट्री टेक्नीकल एज्यूकेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

श्री डी.बी. फाटक द्वारा संस्थान के लिये टेक्यूप हेतु दीर्घावधि एवं सस्टेनेबल प्लान शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने के लिये आग्रह किया गया।

श्री संदीप कंसल द्वारा कहा गया कि संस्थान के लिये 10–20 वर्ष के लिये विजन डाक्यूमेंट बनाया जावे।

अध्यक्ष महोदया द्वारा संस्थान द्वारा कराये जा रहे एकेडमिक ऑडिट को सराहा गया एवं यू.जी. एवं पी.जी. के सभी पाठ्यक्रमों के लिये योजना बनाकर एन.बी.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिये कहा गया।

श्री राजेश धाकड़ द्वारा कहा गया कि सभी विभागों के एन.बी.ए./ए.आई.सी.टी.ई के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जावे एवं शासी निकाय से पदों के सृजन की अनुमति लेकर भर्ती की प्रकिया प्रारंभ की जावे।

सदस्यों द्वारा कोविड काल में किये गये कार्यकलापों की भी सराहना की गई एवं संस्थान के एन.आई आर.एफ. में आने एवं संस्थान को पेटेंट प्राप्त होने की भी सराहना की गई।

अध्यक्ष महोदया द्वारा कोविड काल के उपरान्त सचिव के साथ संस्थान में दौरा करने एवं सभी सुविधाओं को देखने का भी आश्वासन दिया गया।

पृष्ट कमांक 32 के मद कमांक 4 के बिन्दू कमांक सी एवं डी को विलोपित कर अगली शासी निकाय में सस्टेनेबल प्लान के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त सभी 7 टेक्यूप शासी निकाय के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

मद क.124–04 अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये अन्य मद।

1/ श्री दिनेश मित्तल जो कि एस.जी.एस.आई.टी.एस. के 1981 बेच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, व संस्थान के एल्यूमनी एवं वरिष्ठ उघोगपति है, उन्हे संस्थान की शासी निकाय में मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित उद्योग प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मनोनित किया गया।

2/ अध्यक्ष महोदया द्वारा वर्तमान निदेशक के कार्यकाल को आगामी तीन वर्ष के लिए बढ़ाने के निर्णय की सूचना सदस्यों को दी गई।

उपरोक्त के संदर्भ में श्री अशोक अतुलकर द्वारा संस्थान के आगामी आवश्यक कार्यों को देखते हुए वर्तमान निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन किया। प्रो. सुरेश कुमार द्वारा भी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई। श्री डी बी फाटक द्वारा वर्तमान निदेशक के कार्यकाल की उपलब्धियों को सराहा गया साथ ही यह भी व्यक्त किया कि कार्यकाल बढ़ाना आगे परम्परा ना बने।

अध्यक्ष महोदया द्वारा चर्चा उपरान्त यह व्यक्त किया गया कि कोविड 19 की पिछली एवं आने वाली परिस्थियों का आकलन करते हुए, वर्तमान में चल रहे संस्थान के कार्यों को पूर्णता प्रदान करने एवं संस्थान की स्थिरता को देखते हुए पूर्ण परीक्षण के उपरान्त यह कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सभी सदस्यों द्वारा निर्णय का अनुमोदन किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

(डॉ राकेश सक्सेना)
सचिव, शासी निकाय एवं
निदेशक, एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्दौर

यशोधरा राजे सिंधिया

(श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया)
अध्यक्ष, शासी निकाय
एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्दौर एवं
मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल